:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :—राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 36 / 2024 दायर दिनांक : 29.05.2024

1. सरदार पुत्र मनजी डेण्डोर जाति मीणा उम्र बालीग पेशा खेती निवासी बोडामली तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

— प्रार्थी

बनाम

1. जीवाराम पुत्र कालीया
2. लक्ष्मी पुत्री कालीया
3. हीरा पुत्र मनजी निवासीयान बोडामली तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज
4. श्रीमान् लेण्ड होल्डर जरीए तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

— अप्रार्थीगण

उपस्थित :—

1 श्री सतीश कुमार कलाल अधिवक्ता प्रार्थी।

:: निर्णय ::

दिनांक 05 / 08 / 2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी गॉव बोडामली का निवासी है। प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि गॉव बोडामली के जमाबन्दी खाता संख्या 100 के खसरा संख्या 1477 से 1481, 1487, 1495 कुल किता 7 कुल रकबा 3.3234 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार है। प्रार्थी का नाम हाल जमाबन्दी में हरदार दर्ज है, जो सरदार कराने निवेदन किया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, विपक्षी को तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने उपस्थित होकर प्रार्थी का सही नाम सरदार दर्ज करने हेतु सहमति दी है। भूमिधारी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: आदेश ::

गॉव बोडामली कें जमाबन्दी खांता सख्या 100 कें खसरा सख्या 1477 से 1481, 1487, 1495 कुल किता 7 का कुल रकबा 3.3234 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का दर्ज नाम हरदार के स्थान पर सरदार दर्ज करने की आज्ञा दी जाती है। तहसीलदार तहसील सीमलवाडा आदेश की पालना अविलम्ब कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

निर्णय आज दिनांक 05 / 08 / 2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner